

2016/20049

न्यायालय उपखण्डाधिकारी सैपऊ

(राजस्व लोक अदालत/कोर्ट कैम्प ग्राम पंचायत नगला हरलाल)

पीठासीन अधिकारी - विनोद कुमार मीणा (आर0 ए0 एस0)
प्रकरण संख्या-34/2016

1-धनीराम पुत्र बदना जाति लोधा निवासी शाहपुर तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

वादी

बनाम

1- लख्मीचन्द्र 2-लखपति पुत्रगण बदना 3-लक्ष्मी पत्नी हरीचन्द्र 4-कल्यानसिंह 5-सुखन
6-माताप्रसाद पुत्रगण नत्थीलाल 7-हरेन्द्र पुत्रश्री मानसिंह 8-नेकराम पुत्र प्रभूदयाल समस्त
जातिगण लोधा निवासीगण शाहपुर तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
9- पंजाव नेशनल बैंक शाखा बसई नबाब जरिये शाखा प्रवन्धक
10-राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ

प्रतिवादीगण

दावा वास्ते बटवारा काश्त एवं
स्थायी निषेधाज्ञा आधीन धारा
53,188 राजस्थान काश्त0अधि0

उपस्थिति-

1-श्री सुरेन्द्र कुमार दुवे एडवोकेट (वादी)
2-श्री योगेश कुमार शर्मा एडवोकेट (प्रतिवादी)

निर्णय

दिनांक 12.05.2017

वादी द्वारा उक्त उनवानी प्रकरण न्यायालय में दिनांक 9.12.2016 को वास्ते बटवारा काश्त एवं स्थायी निषेधाज्ञा विवादित आराजी आराजी खसरा नम्बरान 5428 रकवा 1.03, 5429 रकवा 1.11, 5430 रकवा 1.06, 5545 रकवा 0.17, 5552 रकवा 0.14, 5719 रकवा 2.12, 5744 रकवा 10.07 वाकेग्राम शाहपुर भू0 अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बसईनबाब बी तहसील सैपऊ एवं खसरा नम्बर 4056 रकवा 1.19, 4057 रकवा 1.19, 4058 रकवा 1.06, 4060 रकवा 0.18, 4061 रकवा 0.01 वाके ग्राम जागीरपुरा कलौ. भू0अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बसईनबाब तहसील सैपऊ का पेश किया । दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया । बाबजूद तामील प्रतिवादीगण उप0 नहीं आने पर एकपक्षीय कार्यवाही कर गुणावगुण के आधार पर दिनांक 12.05.2017 को दावा वादी प्रारंभिक रूप से डिकी किया जाकर विवादित आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य उनके नाम रिकार्ड मे दर्ज हिस्सो के अनुसार बाई मीटस एण्ड बाउण्डस विभाजन कर तहसीलदार सैपऊ को आदेश दिये गये कि



(Handwritten signature)

वह अच्छी में से तथा बुरी में से बुरी आराजी के पक्षकारों के रिकार्ड में दर्ज हिस्सों के अनुसार विभाजन के प्रस्ताव तैयार कर भिजवायें

तहसीलदार सैपऊ द्वारा राजस्व लोक अदालत/ कोर्ट कैंप अटल सेवा केन्द्र नगला हरलाल में विभाजन प्रस्ताव पेश किये । तहसीलदार सैपऊ से प्राप्त विभाजन प्रस्तावों पर विद्वान अभिभाषक वादी को सुना तथा उपस्थित पक्षकारान ने दावा आपसी सहमति से अंतिम डिकी किये जाने का निवेदन किया । पत्रावली का अवलोकन किया । विवादित आराजी में वादी व प्रतिवादीगण संयुक्त खातेदार काश्तकार हैं ।

विवादित आराजी का कुल रकवा 19 बीघा 10 विश्वा है । तहसीलदार सैपऊ ने प्रेषित विभाजन प्रस्तावों में वादी व प्रतिवादीगण के हिस्से में रिकार्ड में दर्ज भूमि के अनुसार ही भूमि प्रस्तावित की है । इस प्रकार तहसीलदार सैपऊ द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव पक्षकारों के दर्ज हिस्से अनुसार ही हैं । तहसीलदार द्वारा विभाजित खसरा नम्बरों के वावत् प्रस्तावित तरमीम नक्शा भी प्रेषित किया है । ऐसी स्थिति में दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिकी करना उचित समझते हैं ।

अतः आदेश है कि दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिकी किया जाता है तथा आराजी वादग्रस्त स्थित ग्राम बसईनबाब बी तहसील सैपऊ के वावत् पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बटवारा किया जाता है :-

1-लख्मीचन्द्र पुत्रश्री बदना लोधा निवासी शाहपुर तहसील सैपऊ राहिन पी0एन0बी0 शाखा वसईनबाब

क0सं0	ख0नं0	रकवा
1.	5428	1.03
2.	5429 / 1	0.01
3.	5552 / 2	0.07
4.	5719 / 1	0.13
5.	5744 / 4	1.06

योग 5 3.10 वाके ग्राम शाहपुर

क0सं0	ख0नं0	रकवा
1.	4056 / 2	0.13
2.	4058 / 2	0.10
3.	4060 / 2	0.04

योग 3 1.07 वाके ग्राम जागीरपुरा कलों

2-धनीराम पुत्रश्री बदना जाति लोधा निवासी शाहपुर तहसील सैपऊ राहिन पी0एन0बी0 शाखा वसईनबाब

Amie

क्र०सं०	ख०नं०	रकवा
1.	5430 / 2	0.16
2.	5545 / 2	0.07
3.	5719 / 4	0.13
4.	5744 / 5	1.06

योग 4 3.02 वाके ग्राम शाहपुर

क्र०सं०	ख०नं०	रकवा
1.	4056 / 4	0.04
2.	4057 / 2	1.02
3.	4058 / 4	0.03
4.	4060 / 4	0.05

योग 4 1.14 वाके ग्राम जागीरपुरा कलौ

3-लखपति पुत्र बदना जाति लोधा निवासी शाहपुर तहसील सैपऊ राहिन पी०एन०बी० शाखा वसईनबाब

क्र०सं०	ख०नं०	रकवा
1.	5429 / 2	1.04
2.	5545 / 1	0.07
3.	5719 / 2	0.13
4.	5744 / 3	1.06

योग 4 3.10 वाके ग्राम शाहपुर

क्र०सं०	ख०नं०	रकवा
1.	4056 / 1	0.12
2.	4058 / 1	0.10
3.	4060 / 1	0.04

योग 3 1.06 वाके ग्राम जागीरपुरा कलौ

4.कल्यानसिंह , सुखनसिंह, माताप्रसाद पुत्रगणश्री नत्थीलाल हिस्सा बराबर 3/4, लक्ष्मी पत्नी हरीचन्द्र हिस्सा 1/4 जातिगण लोधा निवासीगण शाहपुर तहसील सैपऊ राहिन पी०एन०बी० शाखा वसईनबाब

Handwritten signature

क०सं०	ख०नं०	रकवा
1.	5429 / 3	0.06
2.	5430 / 1	0.10
3.	5552 / 1	0.07
4.	5719 / 3	0.13
5.	5744 / 6	1.06

योग 5 3.02 वाके ग्राम शाहपुर

क०सं०	ख०नं०	रकवा
1.	4056 / 3	0.10
2.	4057 / 1	0.17
3.	4058 / 3	0.03
4.	4060 / 3	0.05

योग 4 1.15 वाके ग्राम जागीरपुरा कलौ

5-लख्मीचन्द्र, धनीराम, लखपति पुत्रगण बदना हिस्सा बरावर 3/4 कल्यानसिंह, सुक्खनसिंह, माताप्रसाद पुत्रगण नत्थीलाल हिस्सा बरावर 3/16 लक्ष्मी पत्नी हरीचन्द्र हिस्सा 1/16 जातिगण लोधा निवासीगण शाहपुर तहसील सैपऊ राहिन पी०एन०बी० शाखा वसईनबाब

क०सं०	ख०नं०	रकवा
1.	5545 / 3	0.03

योग 1 0.03 वाके ग्राम शाहपुर

6-हरेन्द्र पुत्र मानसिंह जाति लोधा निवासी शाहपुर तहसील सैपऊ राहिन पी०एन०बी० शाखा वसईनबाब

क०सं०	ख०नं०	रकवा
1.	5744 / 1	2.12

योग 1 2.12 वाके ग्राम शाहपुर

7-नेकराम पुत्र प्रभूदयाल जाति लोधा निवासी शाहपुर तहसील सैपऊ जिला धौलपुर



क०सं०	ख०नं०	रकवा
1.	5744 / 2	2.12

योग 1 2.12 वाके ग्राम शाहपुर

Amis

उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज कर पक्षकारों के पृथक-पृथक खाता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। साथ ही यह आदेश दिया जाता है कि विभाजित खसरा नम्बर की आदेशानुसार/प्रस्तावित मानचित्र अनुसार राजस्व नक्शा में तरमीम की जावे । लगान के 20 गुणा राशि पर देय मुन्द्रांक शुल्क के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेश होने पर पर्चा डिक्री जारी किया जावे। प्रकरण फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 12.05.2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।


(विनोद कुमार मीणा)
उपस्थित अधिकारी सिंपल
जरीन अधिकारी अदालत/कैम्प कोर्ट
ग्राम पंचायत 
ERCM

